J.O./I.D. N0. UP 1532

न्यायालय –अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या– एक, कासगंज

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 891 / 2026

एस0टी0 संख्या– 318 / 2021

राज्य बनाम राजवीर आदि।

मुकदमा अपराध संख्या– 502 / 2020

धारा– 147, 148, 149, 302 व 504 भारतीय दंड संहिता।

थाना– सोरों।

जनपद– कासगंज।

(CNRUPKR01-002002-2026)

05–06–2026

01– **अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र चोखेलाल, निवासी सागरपुर मजरा गंगागढ, थाना सोरों, जनपद कासगंज** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत के सम्बन्ध में यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है (अभियुक्त वारण्ट पर जिला कारागार में निरूद्ध है)। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र उसके पैरोकार बच्चू सिंह पुत्र सूरजपाल के शपथपत्र से समर्थित है।

02– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त नितान्त निर्दोष है तथा इस प्रकरण में रंजिशन मिथ्या दोषारोपित किया गया है। अभियुक्त इस प्रकरण में पूर्व में जमानत पर था तथा यह उसका द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्त मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था, जिससे नियत दिनॉक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा इसी कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिये गये। उसने जानबूझकर न्यायालय उपस्थित आने में भूल नहीं की है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा दिनॉक 31–05–2026 से जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की।

03– अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त गैर हाजिर आने का अभ्यस्त है और अभियुक्त के गैर हाजिर होने के कारण मामले का विचारण प्रभावित हुआ है तथा अभियुक्त का कृत्य उसे पूर्व में प्रदत्त की गयी जमानत की शर्तों के उल्लंघन में है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की।

Digitally signed by DHANANJAY KUMAR MISHRA
Date: 2026.06.05 14:02:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

04– जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

05– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त नेत्रपाल की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या– 4902/ 2023, नेत्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनॉकित 08–02–2023 से स्वीकृत हुयी थी। पत्रावली में नियत दिनॉक 26–05–2026 को अभियुक्त की अनुपस्थिति व कोई स्थगन आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र की प्रक्रिया जारी हुयी। अभियुक्त ने अपने इस द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया है कि वह मजदूरी करने बाहर चला गया था, जिस कारण पत्रावली में नियत दिनॉक को उपस्थित नहीं आ सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिये गये। यह भी कहा कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त ने स्वयं को मजदूर व्यक्ति होना कथित किया है। अभियुक्त ने अपने जमानत का जो जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिया है, वह पर्याप्त है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष के आधार पर मत व्यक्त किये बिना, मैं आवेदक/ अभियुक्त **नेत्रपाल पुत्र चोखेलाल** को निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर अवमुक्त किये जाना उचित पाता हूॅ–

आदेश

I. अभियुक्त **नेत्रपाल पुत्र चोखेलाल** उपरोक्त का **द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 891/2026, एस0टी0 संख्या– 318/2021, मुकदमा अपराध संख्या– 502/ 2020, धारा– 147, 148, 149, 302 व 504 भारतीय दंड संहिता, थाना सोरों, जनपद कासगंज** के मामले में निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

II. अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **अंकन 1,00,000/–रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो सन्तोषप्रद जमानतें न्यायालय के समक्ष निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

III. अभियुक्त अध्याय–35 के अन्तर्गत निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुपालन में हाजिर होगा तथा धारा– 481 उपखण्ड (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के अन्तर्गत शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करेगा।

IV. प्रार्थी/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रियाकलाप अथवा उपरोक्त प्रकार के अभियोग को पुनः कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

V. अभियुक्त उक्त मामलों के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

VI. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 35 धारा 481 उपखण्ड (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत परिवर्तित प्रोफार्मा के अनुसार बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्न बिन्दु समाहित होगा–

''परीक्षणोपरान्त व निर्णयोपरान्त ऐसे उच्चतर न्यायालय के समक्ष जिसके द्वारा निर्णय की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर यदि निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या पिटीशन में नोटिस जारी किया जाता है, उपसंजात होगा।''

VII. अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

VIII. अभियुक्त द्वारा परीक्षण के मध्य जमानत का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं अनुपस्थित रहने पर धारा– 209 भारतीय नागरिक संहिता के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक–05–06–2026

(धनन्जय कुमार मिश्रा)
प्रभारी अधिकारी,
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– एक, कासगंज।
(J.O. I.D. No. UP 1532)